भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

मौखिक प्रश्न संख्या - *203

सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण,1948 (शक)

एसएएससीआई योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को पचास वर्षीय ब्याज मुक्त पूंजीगत ऋण

***203. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के अतंर्गत पचास वर्षीय ब्याज मुक्त पूंजीगत ऋण प्राप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश की पहुँच की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा लगाई गई किन्हीं शर्तों के कारण इन ऋणों के संवितरण में विलंब हुआ है और क्या अमरावती राजधानी के निर्माण के लिए कोई भाग विशेष रूप से निर्धारित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश वर्ष 2014 में राज्य की राजस्व सृजक परिसंपत्तियों के विभाजन से उत्पन्न संरचनात्मक अवसंरचना की कमी का सामना कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो विरासत में मिले इस नुकसान को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किस विशिष्ट वित्तीय उपचार अथवा अतिरिक्त पूंजीगत सहायता पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री
(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

"एसएएससीआई योजना के तहत आंध्र प्रदेश को पचास वर्षीय ब्याज मुक्त पूंजीगत ऋण" के संबंध में श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे जाने वाले लोकसभा मौखिक प्रश्न संख्या *203 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(**क**) वर्ष 2020-21 से अभी तक पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को 31,005.47 करोड़ रुपये (इकतीस हज़ार पाँच करोड़ और सैंतालीस लाख रुपए) की राशि जारी की गई है। एसएएससीआई के तहत राज्य को वर्ष-वार जारी की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**राशि (रु. करोड़ में)**
2020-21	688.00
2021-22	501.79
2022-23	6,105.56
2023-24	4,090.81
2024-25	7,901.56
2025-26	8,289.61
2026-27 (01.08.2026 तक)	3,428.14
कुल	**31,005.47**

(ख) एसएएससीआई के अंतर्गत ऋणों का संवितरण योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर आधारित है। यदि राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सभी प्रकार से पूर्ण होता है, तो राज्य को शीघ्रता से ऋण जारी किया जाता है।

इस योजना का कोई भी भाग विशेष रूप से अमरावती राजधानी के निर्माण के लिए निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, राज्य एसएएससीआई के अंतर्गत राज्य को आबंटित राशि के भीतर अमरावती राजधानी के निर्माण की परियोजनाओं सहित पूंजीगत प्रकृति की किसी भी परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

(ग) से (ङ): वर्ष 2014-15 में राज्य के विभाजन से उत्पन्न घाटे और भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट वित्तीय समाधान/अतिरिक्त पूंजीगत सहायता का विवरण निम्नानुसार है -

i. **आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2014-15 में राजस्व घाटा:** महालेखाकार (लेखा और पात्रता), आंध्र प्रदेश और तेलंगाना द्वारा प्रकाशित राज्य वित्त लेखों में विभाजन के वर्ष अर्थात 2014-15 के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के लिए राजस्व घाटे के रूप में 16,078.76 करोड़ रुपये की राशि का आकलन किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य को 16,078.76 करोड़ रुपये का संपूर्ण लेखापरीक्षित राजस्व घाटा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जारी किया गया है:

क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)**
1	2014-15	2,303.00

2	2015-16	500.00
3	2016-17	1,176.50
4	2021-22	1,638.39
5	2023-24	10,460.87
	कुल	**16,078.76**

ii. **वित्त आयोग (एफसी) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार विभाजन के बाद राजस्व घाटा अनुदान -** आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 46(1) के अनुसार, वित्त मंत्रालय द्वारा 14वें वित्त आयोग को उत्तरवर्ती राज्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखने और प्रत्येक उत्तरवर्ती राज्य के लिए अलग-अलग आवंटन करने के लिए एक संदर्भ दिया गया था। 14वें वित्त आयोग ने वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को 22,112 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की थी और यह पूरी राशि राज्य को जारी कर दी गई है। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग ने आंध्र प्रदेश राज्य को 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए 36,394 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की थी और यह पूरी राशि भी राज्य सरकार को जारी कर दी गई है। जारी की गई राशि का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

(रु. करोड़ में)

2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को राजस्व घाटा अनुदान			
क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**14वें वित्त आयोग द्वारा आवंटन**	**14वें वित्त आयोग द्वारा जारी राशि**
1	2015-16	6609.00	6609.00
2	2016-17	4930.00	4930.00
3	2017-18	4430.00	4430.00
4	2018-19	3644.00	3644.00
5	2019-20	2499.00	2498.88
कुल		**22,112.00**	**22,111.88**

2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को राजस्व घाटा अनुदान			
क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**15वें वित्त आयोग द्वारा आवंटन**	**15वें वित्त आयोग द्वारा जारी राशि**
1	2020-21	5897.00	5896.92
2	2021-22	17257.00	17257.00
3	2022-23	10549.00	10549.00
4	2023-24	2691.00	2691.00
5	2024-25	0.00	0.00
6	2025-26	0.00	0.00
कुल		**36394.00**	**36393.92**
